

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3320

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सेवा तक पहुंच

3320. श्री राजीव राय:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के शुभारंभ के बाद आयुष सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आयुष लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने एनएएम योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा पद्धति के लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किया है जहाँ अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर मऊ और बलिया जिलों सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आयुष चिकित्सा पद्धति को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए कोई अन्य कदम उठा रही है; और
- (च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को देश भर में विभिन्न आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के आयुष बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए दी जा रही विभिन्न गतिविधियों के तहत समर्थन दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, देश में आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए एसएएपी की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक कुल 5670.82 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया है। वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एनएएम के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ/प्राप्त उपलब्धियाँ **संलग्नक-I** पर दी गई हैं। इसके अलावा, आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न आयुष सुविधाओं तक पहुंचने वाले लाभार्थियों का डेटा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा रखा जा रहा है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) में आए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, **संलग्नक-II** पर दी गई है।

(ग) से (घ): आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय

सहायता प्रदान करके, देश में आयुष पद्धति के समग्र विकास और संवर्धन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। मिशन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:

- i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडबल्यूसी) का संचालन, जिनका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है।
- ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
- iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
- iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना हेतु भवन का निर्माण।
- v. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
- vi. सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।
- vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना, जहाँ सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष पोस्ट का अवसंरचनात्मक विकास।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना भी कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुँचना है और इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेले, योग फेस्ट/उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुर्वेद दिवस सहित आयुष पद्धतियों के महत्वपूर्ण दिवस मनाता है, स्वास्थ्य मेलों/मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मल्टीमीडिया अभियान आदि चलाता है।

(ड) और (च): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मऊ और बलिया जिलों सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, आयुष चिकित्सा पद्धति को अधिक सुलभ और सस्ती बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की है, हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सीएसएस (एनएएम) के तहत प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मऊ और बलिया में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को मंजूरी दी गई है।

वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एनएएम के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ

- (i) एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 203 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।
- (ii) बुनियादी ढाँचे और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए 518 आयुष अस्पतालों और 6234 आयुष औषधालयों को सहायता प्रदान की गई।
- (iii) 2387 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), 746 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और 319 जिला अस्पतालों (डीएच) को औसतन प्रत्येक वर्ष दवाओं और आकस्मिक व्यय की आवर्ती सहायता के लिए सह-स्थान के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई।
- (iv) आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए औसतन प्रत्येक वर्ष 1157 आयुष अस्पतालों और 12677 आयुष औषधालयों को सहायता प्रदान की गई।
- (v) नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 21 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।
- (vi) बुनियादी ढाँचे, पुस्तकालय और अन्य चीजों के उन्नयन के लिए 78 स्नातक और 46 स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान की गई।
- (vii) नए आयुष औषधालयों की स्थापना के लिए 383 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।
- (viii) 1429 आयुष ग्रामों को सहायता प्रदान की गई।
- (ix) 12500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, जिनका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है, को सहायता प्रदान की गई।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या जिन्होंने एएएम (आयुष) के माध्यम से सेवाएं प्राप्त कीं, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2022	2023	2024
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	11090	7982	9181
2.	लक्षद्वीप	38515	55723	42215
3.	अरुणाचल प्रदेश	25278	55348	71249
4.	असम	28092	313319	3343870
5.	मणिपुर	946	5301	13853
6.	मेघालय	0	37950	52198
7.	मिजोरम	34195	94639	126325
8.	नागालैंड	21480	38444	40948
9.	सिक्किम	35094	44061	47806
10	त्रिपुरा	0	55385	103439
11	हिमाचल प्रदेश	736738	2331404	2342366
12	जम्मू-कश्मीर	2685966	3018269	2412595
13	उत्तराखंड	445740	1706811	1352831
14	बिहार	194960	231661	291037
15.	छत्तीसगढ़	1281136	2356871	2346115
16.	झारखंड	187363	1487747	2691204
17.	मध्य प्रदेश	1601107	2590895	4611884
18.	ओडिशा	6820072	1732981	2595883
19.	राजस्थान	8396431	17740280	39066293
20	उत्तर प्रदेश	13245767	16445963	12427257
21.	आंध्र प्रदेश	404115	703804	713523
22	गोवा	53324	254962	366284
23	गुजरात	1578001	6333646	5807405
24	हरियाणा	2514230	2658480	2473949
25	कर्नाटक	763257	1660552	1896859
26.	केरल	5829043	6672089	8344225
27	महाराष्ट्र	764615	1073779	1517652
28	पंजाब	0	0	767453
29	तमिलनाडु	25456637	11287166	13826356
30	तेलंगाना	2358802	2913265	2061093
31	पश्चिम बंगाल	8431205	4816907	3677126
32	चंडीगढ़	200235	127474	120426
33	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0	2670	26912
34	लद्दाख	0	0	0
35	दिल्ली	0	0	0
36	पुडुचेरी	57237	58978	62705
	कुल	84200671	88914806	115650517